(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशानार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 मार्च , 2017

आय-कर

का० आ० **1006** (अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 12 में,

(क) उपनियम (1) में—

I. प्रारंभिक भाग में, "2016" अंकों स्थान पर "2017" अंक रखा जाएगा, अर्थात् :—

II. खंड (क) के परंतुक में

(i) उपखंड (II) में, अंत में आने वाले "या" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपखंड (III) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(IV) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(V) धारा 115खखघक के अधीन आय कराधेय है ; या

(IV) धारा 115खखङ में निर्दिष्ट प्रकृति की आय है" ;

III. खंड (ख) और (खक) का लोप किया जाएगा ;

IV. खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) कोई व्यष्टिक [कोई व्यष्टिक न होते हुए जिसको खंड (क) लागू होता है] या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब के मामले में जहां प्ररूप आई टी आर- 2 में होते हुए या स्वत्वधारी कारबार या वृत्तिक से व्युतपन्न आय कुल आय सम्मिलित नहीं है और उसे उपदर्शित रीति में सत्यापित किया जाएगा।"

V. खंड (गक) में,

प्रारंभिक भाग में, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "कारबार आय और धारा 44 कघ में निर्दिष्ट विशेष उपबंधों के अनुसार संगणित के लिए अधिनियम की धारा 44कङ प्ररुप सुगम (आई टी आर-4 घ) में होना जाए" शीर्षक के अधीन "कारबार या वृत्तिक का लाभ या अभिलाभ और धारा 44कघ, धारा 44कघक में निर्दिष्ट विशेष उपबंधों के अनुसार आय की संगणना की जाती है और ऐसी आय की संगणना के लिए अधिनियम धारा 44कङ सुगम (आई टी आर-4) प्ररुप होना चाहिए" रखा जाएगा

(ii) परंतुक में—

(अ) उपखंड (II) में, अंत में आने वाले "या" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(आ) उपखंड (III) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा ; अर्थात् :—

(V) धारा 115खखघक के अधीन आय कराधेय है ; या

(IV) धारा 115खखङ में निर्दिष्ट प्रकृति की आय है" ;

VI. खंड (घ),

(i) शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (ख)" का लोप किया जाएगा ;

(ii) शब्दों, अक्षरों और संख्या "प्ररूप सं० आई टी आर 4" के स्थान पर "प्ररूप सं० आई टी आर-3" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।

(ख) शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और संख्या के स्थान पर "प्ररूप सुगम (आई टी आर 4 एस)" अक्षर कोष्ठक और संख्या "प्ररूप सुगम (आई टी आर-4)" रखा जाएगा ।

(ग) उपनियम (3) की सारणी में—

(अ) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : —

क्रम संख्या	**व्यक्ति**	**शर्त**	**उपाय की विवरणी प्रस्तुत करने की रीति**
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
"1	(क) व्यष्टिक या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब	(क) अधिनियम के अधीन की धारा 44कख के अधीन संपरीक्षित किए जाने के लिए ले जाए अपेक्षित हैं ।	आंगुलिक हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप में
		(ख) जहां पूर्व वर्ष के दौरान अधिनियम के अधीन कुल निर्धारणीय आय कोई व्यक्ति— (i) पूर्व वर्ष के दौरान 80 वर्ष या किसी समय पर अधिक व्यष्टिक होते हुए ; या (ii) जिसकी आय पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होती है और आय की विवरणी में कोई प्रतिदाय दावा नहीं किया गया है और जो सहज आई टी आर । या प्ररूप संख्या सुगम(आई टी आर-4) में प्ररूप में प्रस्तुत किया जाता है ।	(अ) आंगुलिक हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप से ; या (आ) इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में इलेक्ट्रानिक रूप से डाटा का परेषण ; या (इ) इलेक्ट्रानिक रूप से विवरणी में परेषण डाटा और तत्पश्चात् प्ररूप आई टी आर-V की विवरणी सत्यापन प्रस्तुत करने में तत्पश्चात् : या (ई) कागज-पत्र प्ररूप
		(ग) किसी मामले में —	(अ) आंगुलिक हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप से ; या (आ) इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में इलेक्ट्रानिक रूप से डाटा का परेषण ; या (इ) इलेक्ट्रानिक रूप से विवरणी में डाटा का परेषण और प्ररूप आई टी आर V में विवरणी के सत्यापन प्रस्तुत करने के तत्पश्चात्;";

(घ) उपनियम (5) में अंकों "2015" के स्थान पर "2016" अंकों को रखा जाएगा ।

3. मूल नियमों में, परिशिष्ट II में,—

(क) "प्ररूप सहज (आई टी आर-1)", के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :— "सहज (आई टी आर-1)";

(ख) "प्ररूप आई टी आर-2", के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :— "आई टी आर-2";

(ग) "प्ररूप आई टी आर-2क", का लोप किया जाता है;

(घ) "प्ररूप आई टी आर-3", के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :— "आई टी आर-3";

(ङ) "प्ररूप आई टी आर-4एस", के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :— "सुगम (आई टी आर-4)" ;

(च) "प्ररूप आई टी आर-4", का लोप किया जाता है;

(छ) "प्ररूप आई टी आर-5", के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :— "आई टी आर-5";

(ज) "प्ररूप आई टी आर-6", के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :— "आई टी आर-6";

(झ) "प्ररूप आई टी आर-7", के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :— "आई टी आर-7";

(ञ) "प्ररूप आई टी आर-V", के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :— "आई टी आर-V";

[अधिसूचना संख्यांक 21/2017/ फा. सं० 370142/5/2017-टी०पी०एल]

(डॉ० टी०एस० मपवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का०आ० 969 (अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 में अधिसूचना संख्यांक का०आ० संख्या283(अ) तारीख 23 मार्च, 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।